

116

22 35



विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 41,63,070.00 रुपये।
 स्टाम्प पेपर - प्रश्नगत भूमि के क्रय हेतु किये जा रहे निबन्धन भे
 कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-893/
 ग्यारह -2010-500-(83) 2005 दिनांक 06 मई 2010 की व्यवस्था
 के अनुसार संबंधित विकासकर्ता कंपनी/कन्सर्शियम क्रेता स्टैम्प
 ड्यूटी से छूट के लिये पात्र है।

मैं कि श्रीमती गुड्डी पत्नी पवन निवासी ग्राम दुरियाई परगना दादरी
 तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

मैसर्स सम्पल चढढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डरा
 कालोनी नई दिल्ली द्वारा दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्युनिटी
 सेंटर न्यू फेन्डरा कालोनी नई दिल्ली अधिगृह हस्ताक्षरी (फरीक बोधम/क्रेता)।

22/08/10



22/08/10



संख्या 4163070/- कस्त राज 100000
 जगत 201 100000 शब्द साध 100
 श्री जीत बुद्धी
 पुत्र श्री चंद्र
 मेवात दुराचार तह कारी
 १ कर्मकांड २४
 गौतम बुद्ध नाम में राज 21/2/11
 समय मध्य ५ बजे प्रस्तुत किया।

सचिव
 21/2/11

गुप्त

इस पत्रपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे

जयबल गुं 4163070/- लक्ष्मी प्रसाद

जिसमें से

जगत में संपादक पाकर उक्त श्री जीत बुद्धी बुद्धि
 जगत के पत्र पत्राल से जो अक्षर उपलब्ध
 होए वह उपलब्ध हो 33 कर्म निधि सेंटर
 न्यू फ्रेंड्स कालोनी में दिल्लो का दोष
 पाठ्य 5/6 को अक्षर दत्त पाठ्य 33 कर्म निधि
 सेंटर न्यू फ्रेंड्स कालोनी में दिल्लो ने स्वीकार किया

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम पुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०), कृषि भूमि खाता नं० 298 के खसरा नं० 194 रकबा 0.930 हैक्टे० व खसरा नं० 212 रकबा 0.811 है० कुल 2 किता रकबा 1.741 है० का 1/6 भाग 0.290166 हैक्टे० प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1411-1416 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि-कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 7000000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200 रु० प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 41,63,070/- रुपये (इकतालीस लाख तिरसठ हजार सत्तर रुपये मात्र) में तय है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।



gaurav

नाम: श्रीमती चोपरा
 पता: पुणे जिल्हा
 नगर: श्रीमती चोपरा
 पत्नी: श्रीमती चोपरा
 पत्नी: श्रीमती चोपरा
 पत्नी: श्रीमती चोपरा

21/2/11

पुणे

गुड

Arjun Chaudhary

सुनील कमाड

विश्व अंगूठा नियमानुसार लिखित
साक्षी भले प्रतीत होते हैं।

उप निबन्धक
दावरी 21/2/11

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, मार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबे, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि में गस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-गस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटी नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त-वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र मुझे वर्णित उक्त खाता नं० 299 के खसरा नं० 194 रकबा 0.930 हैक्टे० व खसरा नं० 212 रकबा 0.811 है० कुल 2 किता रकबा 1.741 है० का 1/8 भाग 0.290166 हैक्टे० स्थित ग्राम दुरियाई परगना वादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिरसे पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक समुझेति से भय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त भराई, हर किरग कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है।

मुझे

पुनः





(4)

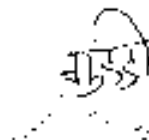
आदि आदि को आज की तारीख मुझे विक्रय धनराशी अंकन 41,83,070/- रुपये (इकतालीस लाख तिरैराठ हजार सत्तर रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 20,81,535 /- रुपये (बीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ पैंतीस रुपये मात्र) होते हैं के एवज में बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बेय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

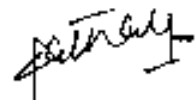
(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये, है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावे।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बाबत समस्त कागजात में, बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अब्बल से करा सकते हैं, मुझ फरीक अब्बल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेतागण व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कमी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिनें तक फरीक अब्बल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी









दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जों खर्चों प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकें हैं जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.290166 हैक्टेयर, खाता न० 299 के खसरा न० 194, 212 स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

(15) बैंक ऐकिसा बैंक लि० गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का चेक नंबर 409,331 अंकन 41,63,070/- रुपये (इकतालीस लाख तिरसठ हजार सत्तर रुपये मात्र)



Handwritten signature or initials.



(6)

दिनांकित 21.02.11 फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

फरीक अव्वल

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

फरीक अव्वल

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (क्रेता)

गवाह नं० 1 दावेन डो जी रामप्रसाद - ब्रह्मपुरा
कानपुर - तिनका (बेचो)

गवाह नं० 2 सुनील कुमार डो. जतेश सिंह गौड़
जि. गौ. बुरे नगर
सुनील कुमार

तहरीर दिनांक 21.02.11 मसौदा रोजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद



प्राज दिनांक 21/2/11 का फादोसो
 ति पुस्तक संख्या 3224
 पुस्तक संख्या 125
 पुस्तक संख्या 116
 पुस्तक संख्या 3235

